बाधारहित वातावरण

संक्षिप्त प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने सन् 1981 को 'अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष' घोषित किया था। 'विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण सहभागिता एवं समानता' इस नारे के साथ विकलांग व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा से जोडने के लिए विशिष्ट कार्ययोजना तैयार की गई। संयुक्त राष्ट संघ द्वारा प्रतिपादित सामान्य उद्देश्यों के अनुरूप भारत की संसद ने भी निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्णभागीदारी) अधिनियम 1995 पारित किया।

इस अधिनियम के आठवें अध्याय के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि विकलांगता से पीडित व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखा जाये। अभेदभाव के इस तत्व के अनुसार भवनों को अनुकूल बनाया जाना अपरिहार्य है जिसके

फलस्वरूप विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति भी उनका सहजता से प्रयोग कर सके। बाधारहित वातावरण की संकल्पना की नींव इसी मूल तत्व में है।

परिभाषा – बाधारहित वातावरण अर्थात ऐसा वातावरण जिसमें विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति सभी गतिविधियाँ सुरक्षा तथा सरलता से कर सकता है।

बाधारहित वातावरण की आवश्यकता इसलिए महत्वपूर्ण है कि विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति की पहुँच तथा कार्य विभिन्न स्थानों पर, जैसे घर, सार्वजनिक भवन, कार्यालयों, मनोरंजन स्थल आदि, सुगमता से हो सके। यह पुस्तिका बाधारहित वातावरण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता निर्माण करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। अतः इनमें केवल प्राथमिक स्वरूप की सूचनाएँ तथा जानकारी दी गई हैं। आशा है कि इसे पढ़कर पाठक अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु विशेषज्ञ से संपर्क करने के लिए प्रेरित होंगे।

बाधारहित वातावरण और गतिबाधित व्यक्ति

1. घर, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, शॉपिंग सेंटर, मनोरंजन गृह, पूजा एवं धार्मिक स्थल, ग्रंथालय, होटल आदि प्रत्येक भवन में प्रवेश हेतु ढालू पट्टी (रैम्प) हो।

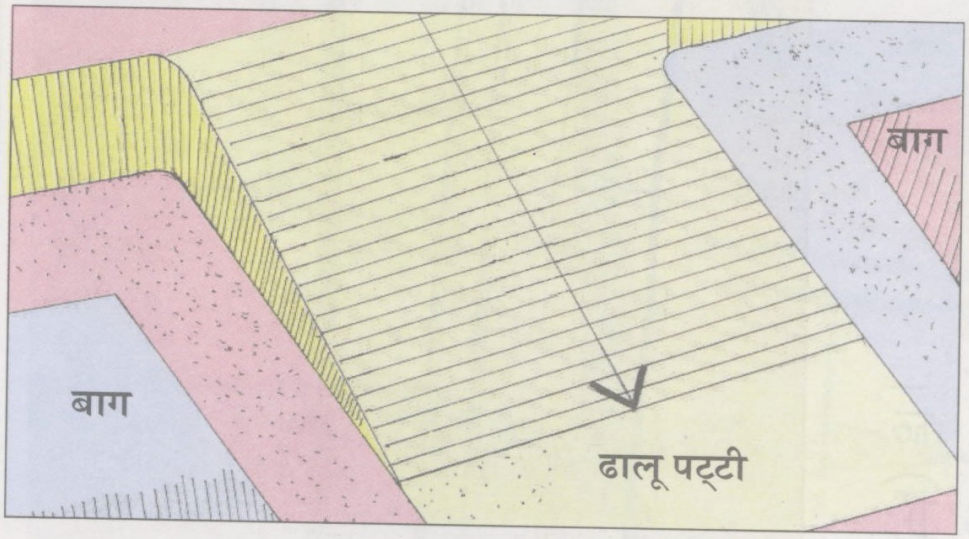

ढलान का अनुपात

उंचाई (एम.एम.)	उंचाई–लम्बाई
0.0 से 15.0	1 : 02
15.1 से 50.0	1 : 05
50.1 से 200	1 : 10
200 से अधिक	1 : 12

2. भवन के भीतर जहाँ जहाँ ऊँचाई कम है, वहाँ एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने हेतु सीढियों के साथ ढालू पट्टी (रैम्प) हो।

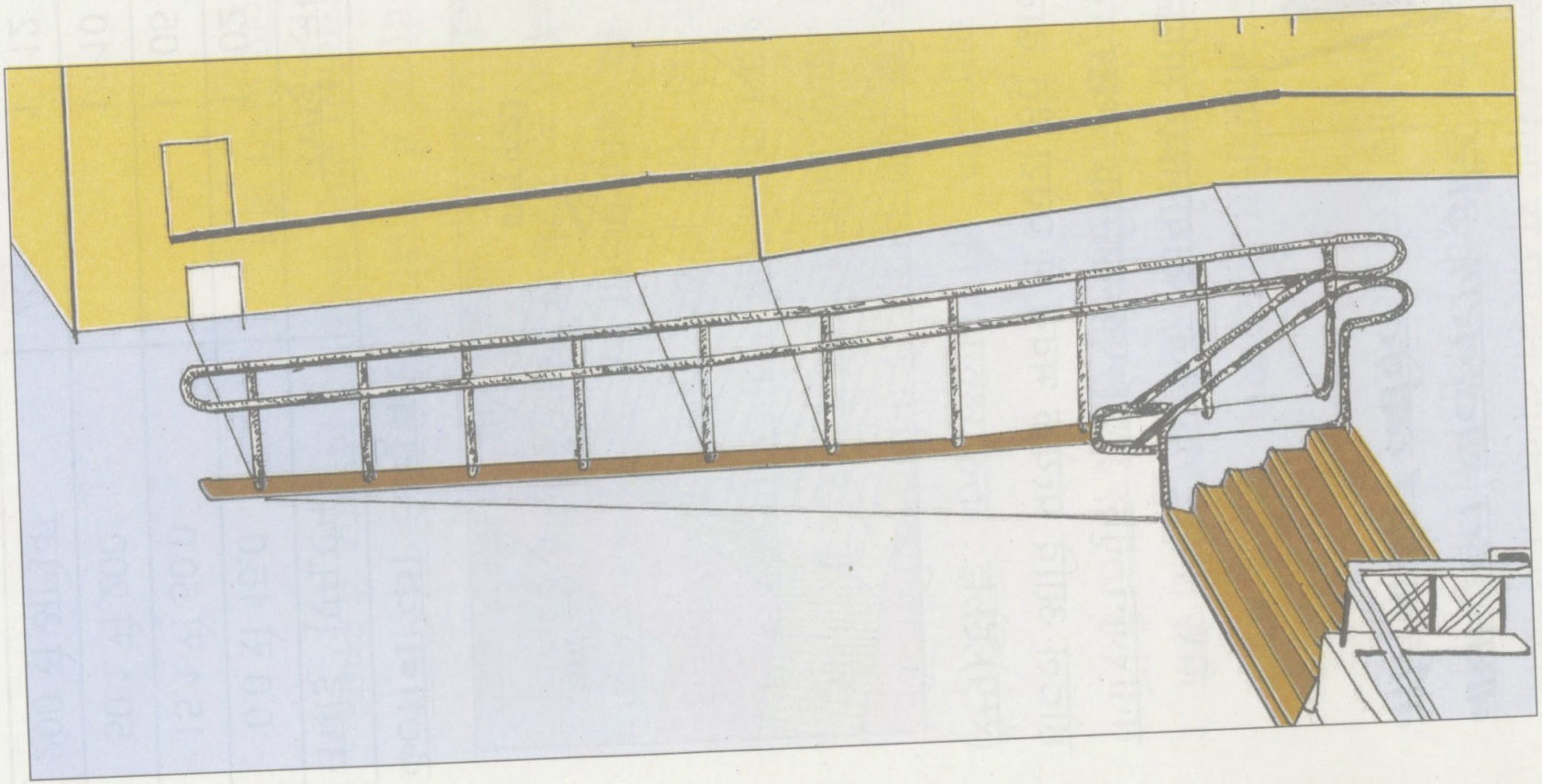

3. भवन निर्माण के समय ही सहारे के लिए हैंड रेल लगाये जाये। दीवार को लगी हुई हैंड रेल धरातल से 80 सेमी. पर होनी चाहिए। धरातल पर खड़ी हैंड रेल में दो हैंड रेल हों; एक धरातल से 80 सेमी. की ऊँचाई पर (वयस्कों के लिए) और दूसरी धरातल से 70 सेमी. की ऊँचाई पर हो (बच्चों के लिए)

4. भवन में प्रत्येक दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 120 सेमी. हो।

दरवाजे की चौड़ाई

5.चलना सुविधाजनक होने हेतु भवन का फर्श अवरोधरहित हो।

6.निवासी गृह में आवश्यकतानुसार ढालू पट्टी, अवरोधरहित फर्श, अनुकूलित रसोई घर एवं अनुकूलित शौचालय बनवाएँ।

अनुकूलित रसोई घर

अनुकूलित शौचालय

7.स्विच बोर्ड, दरवाजे की कुंदी, नल आदि धरातल से 90 सेमी. की ऊँचाई पर लगाई जाये।

8. जहां गोल घूमने वाले गेट हो, वहां बड़े खुलने वाले दरवाजे भी रखें।

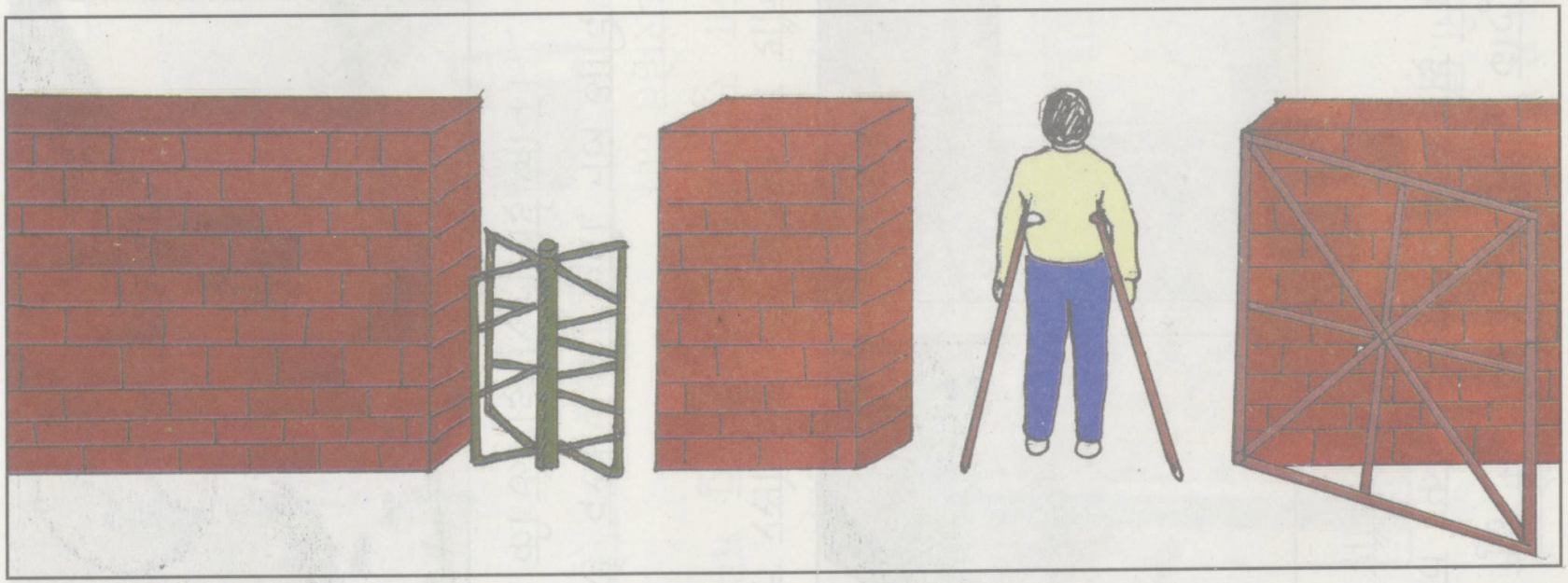

9. शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय, वाचनालय एवं प्रयोगशालाओं को भूतल पर बनाया जाये।

10. भवन में दो से ज्यादा मंजिलें होने पर उसमें लिफ्ट लगाया जाना अनिवार्य है। यदि अधिक मंजिलें बनाई जाने की संभावना हो तो भविष्य में लिफ्ट लगाने हेतु प्रावधान अनिवार्य हैं।

11 .सार्वजनिक भवन के शौचालयों में चौड़े स्लाइडिंग डोर (सरकने वाला दरवाजा) लगाया जाये, जो आसानी से खुल सके और व्हील चेयर पर सवार व्यक्ति आसानी से प्रवेश कर सके।

12. रेल्वे प्लेटफार्म इस प्रकार बनाये जाये कि ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच खाली जगह न रहें।

बाधारहित वातावरण और श्रवणबाधित व्यक्ति

1. श्रवणबाधित व्यक्ति किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हों तो कार्यक्रम स्थल पर संकेत अनुवादक (Sign Language Interpreter) तथा इन्डक्शन लूप सिस्टम की व्यवस्था हो जिससे श्रवणबाधित व्यक्ति को बातें सुनने और समझने में आसानी हो सके।

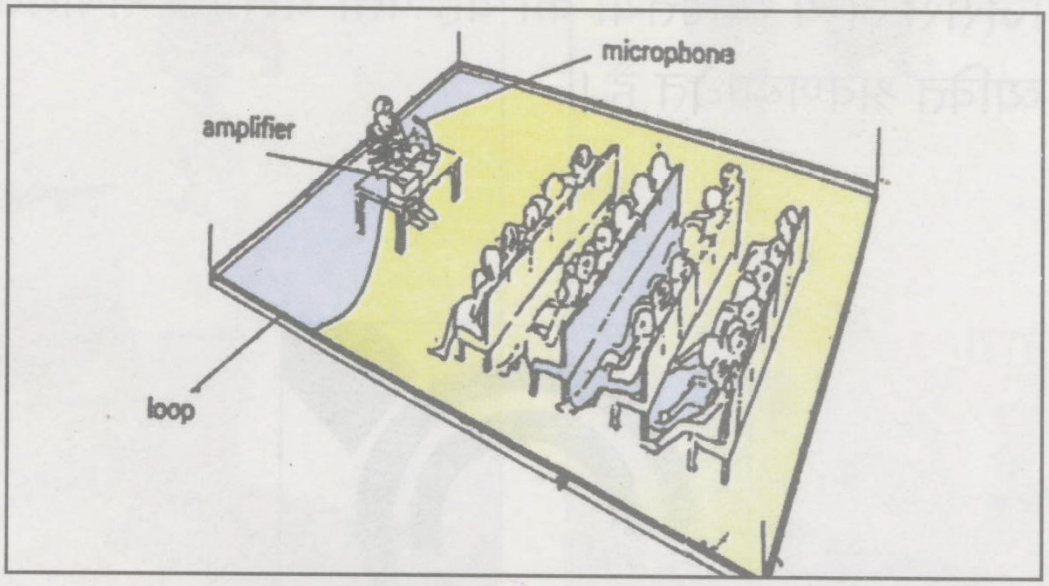

2. सभी दुकानों में विक्रय हेतु रखी वस्तुओं के साथ उनकी विशेषता, मूल्य, वजन आदि आवश्यक जानकारी छपाई जाएँ। इससे श्रवणबाधित ग्राहक को बिना सम्प्रेषण के आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी।

3. ऐसे घरों में जहां श्रवणबाधित व्यक्ति रहते हैं वहां दरवाजे पर लगाई जाने वाली कॉल–बेल में घंटी के साथ बत्ती भी लगाई जायें। इससे घण्टी सुनाई न देने पर भी बत्ती जलने के कारण श्रवणबाधित व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होगा ।

4. श्रवणबाधित व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं, जैसे कि स्कूल का बस्ता, वाहन आदि पर निम्न मोनोग्राम (प्रतीक चिन्ह) दर्शाया जायें जिससे अन्य व्यक्तियों को यह पता चले कि संबंधित व्यक्ति श्रवणबाधित है।

बाधारहित वातावरण और दृष्टिबाधित व्यक्ति

1.भवनों की रचना ऐसी हो जिसमें धारदार कोने अथवा विध्न न हों।

अग्निशमन यंत्र – गलत स्थान पर।

अग्निशमन यंत्र – सही स्थान पर।

2. लिफ्ट में श्राव्य संकेत की सुविधा हो, जिससे दुष्टिबाधित व्यक्ति को लिफ्ट कोन से तल पर पहुँची हैं यह स्पष्ट हो जायें। लिफ्ट के बाहर लिफ्ट के बटन के समीप ब्रेल लिपि में संकेत हो जिससे दुष्टिबाधित व्यक्ति तल का क्रमांक आसानी से समझ सकें।

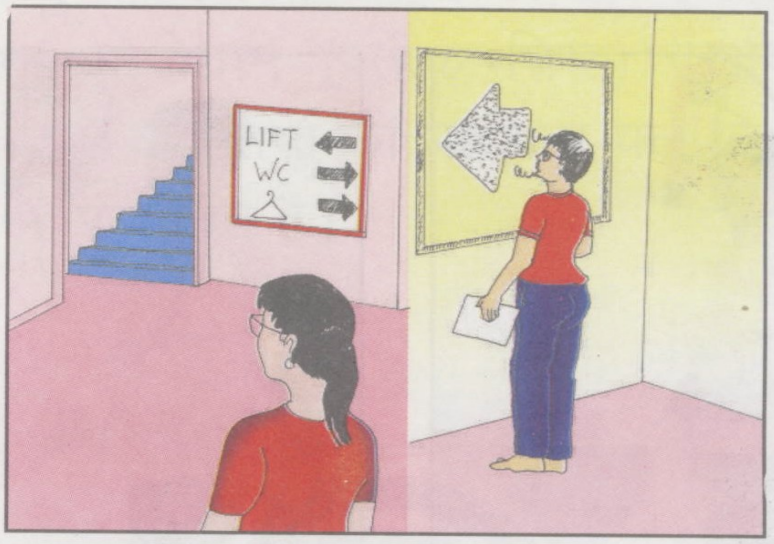

3. सीढियां एक समान चौड़ी तथा कम ऊँची होनी चाहिये जिससे चढने मे आसानी हो।

4. सीढियों की दोनो ओर रेलिंग हो तथा रेलिंग के नीचे की ओर ब्रेल लिपि मे तल की संख्या अंकित की गई हो।

5. जहां से सीढियां शुरू होती है उस स्थान पर तथा

जहां सीढियां समाप्त होती है उस स्थान पर खुरदुरी सतह होनी चाहिए जिससे सीढियां चढने या समाप्त होने का संकेत दृष्टिबाधित व्यक्ति को आसानी से मिल सके।

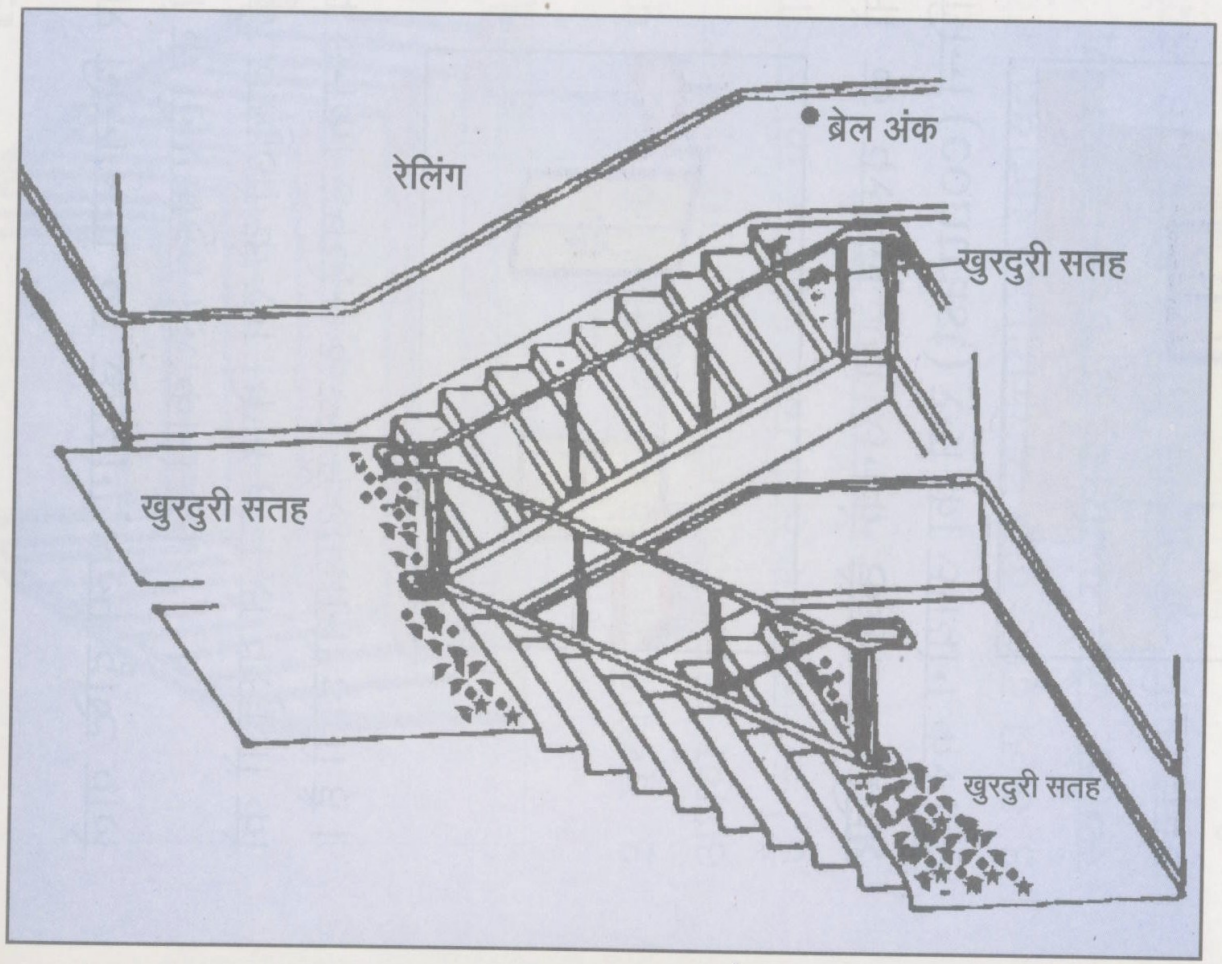

बाधारहित वातावरण और अल्प दृष्टिवाले व्यक्ति

1. परस्पर भिन्न रंगों का उपयोग अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत हितकारी है।

अ. घर की वस्तुओं के रंग भिन्न होने से वस्तुओं को ढूँढने एवं उनका उपयोग करने में आसानी होती हैं।

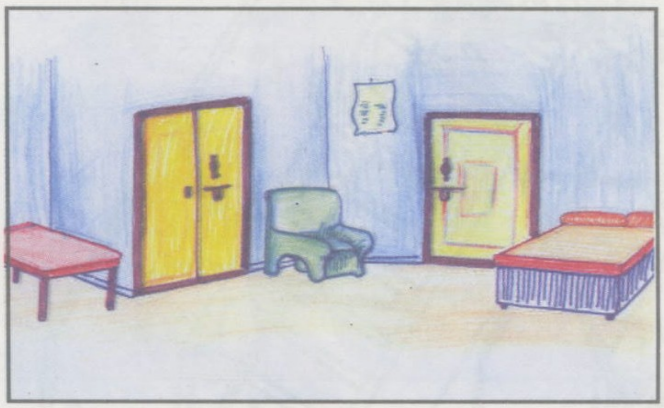

ब. भवनों के दरवाजे एवं उनके हेंडल के लिए परस्पर भिन्न (contrast) रंगों का उपयोग करें।

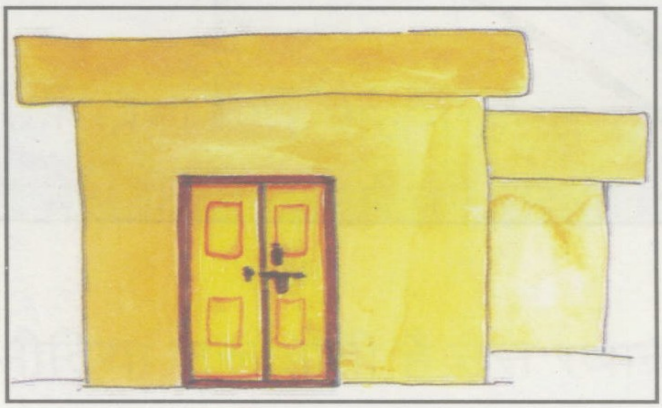

क. सीढियों के किनारों पर परस्पर भिन्न रंग लगाएं जिससे सीढियां आसानी से दिखाई दें।

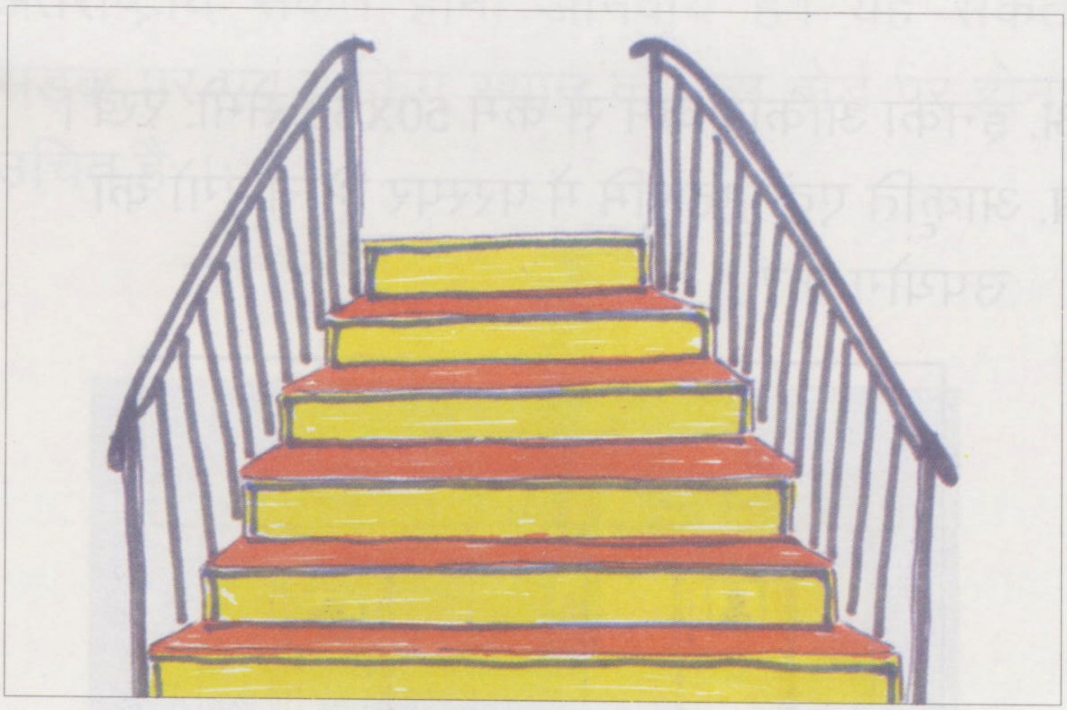

2. दूरभाष यंत्र के पाँचवे अंक के बटन पर बिन्दु अथवा स्टीकर लगाने से डायलिंग में मदद मिलती है। 5 नंबर पर लगे बिंदु स्टीकर की सहायता से अन्य नंबर ढूँढने मे सरलता होती है।

3. अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों की सहायता हेतु प्रमुख स्थानों, जैसे ग्रंथालय, डाकघर, शौचालय, दूरभाष केन्द्र आदि के सामने उचित चिन्हों के संकेतपट्ट की व्यवस्था हो।

4. संकेतपट्टो में अंतर्भूत चिन्हों के आकार एवं पृष्ठभूमि के लिए मार्गदर्शक तत्व -

अ. इनका आकार कम से कम 50X50 सेमी. रखें।

ब. आकृति एवं पृष्ठभूमि में परस्पर भिन्न रंगों का उपयोग करें।

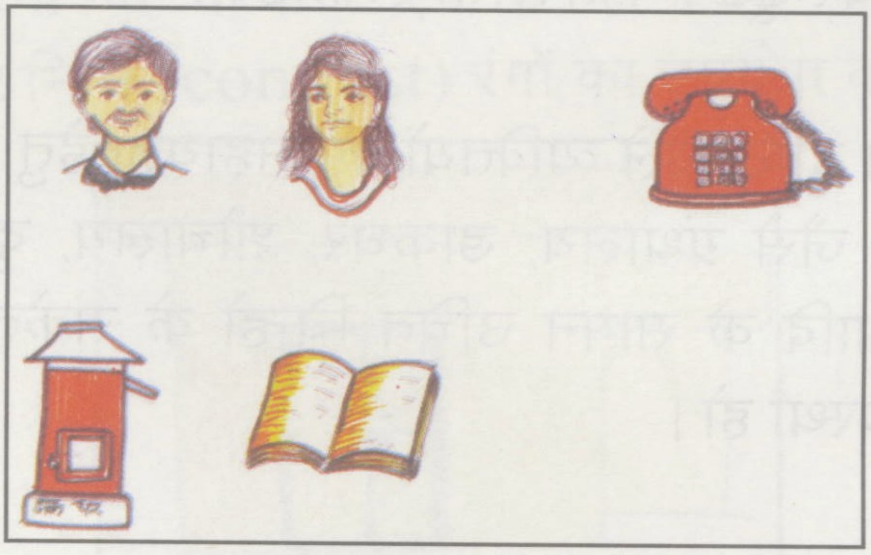

5. पार्किंग के स्थान पर अँक्सेस (पहुँच) का अंतर्राष्ट्रीय संकेत होना अनिवार्य है। यह संकेत सड़क पर एवं पार्किंग स्थान के पास बोर्ड पर होना उचित हैं ।